



2026:AHC:173119

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8392 सन् 2026

शिवम सिंह उर्फ रजत सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: प्रदीप सिंह सेंगर, राजीव नयन सिंह

विपक्षी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, ओम सिंह राठौर

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का भी अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से केस क्राइम संख्या 99 सन् 2026, थाना डोकती, जनपद बलिया, भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 तथा पाँक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अंतर्गत, उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना सहित प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. वाद सूची पुनः पुकारी गई।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।
5. सूचनाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, जबकि वाद सूची में श्री ओम सिंह राठौर का नाम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के रूप में मुद्रित है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत एक प्रार्थना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पत्र के आधार पर दर्ज कराई गई है। कथित घटना दिनांक 16.04.2026 की बताई गई है, जिसमें आवेदक द्वारा सूचनाकर्ता की पुत्री, जिसकी आयु लगभग 15 वर्ष बताई गई है, के साथ छेड़छाड़ किए जाने का अभिकथन है। आवेदक का कथन है कि आवेदक सूचनाकर्ता का पड़ोसी है तथा दिनांक 16.04.2026 को पक्षकारों के मध्य एक पारिवारिक विवाद हुआ था, जिसके कारण आवेदक के विरुद्ध यह मिथ्या मामला दर्ज कराया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अब आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और आवेदक को अब किसी अभिरक्षात्मक पूछताछ अथवा बरामदगी की आवश्यकता नहीं है। आवेदक विचारण में सहयोग करने का वचन देता है तथा फरार नहीं होगा और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है तथा कथन किया है कि आवेदक के विरुद्ध विशिष्ट अभिकथन किए गए हैं। पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 तथा 183 के अंतर्गत अपने कथनों में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि आवेदक ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। उसने उसे आधार कार्ड में संशोधन कराने के बहाने बुलाया था। आवेदक को कोई रियायत न दी जाए तथा जमानत आवेदन निरस्त किया जाए।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत कथनों पर विचार किया है।

9. प्रथम सूचना रिपोर्ट बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र के आधार पर विलंब से दर्ज कराई गई है। अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री विद्यमान नहीं है, जिससे यह इंगित हो कि पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा हुआ था। तथापि, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, सूचनाकर्ता द्वारा शिकायत किए जाने के पश्चात, पक्षकारों के मध्य थाने पर एक राजीनामा किया गया था। पुलिस अधीक्षक, बलिया को सूचना तत्पश्चात दिनांक 18.04.2026 को दिए जाने का कथन है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अब आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और आवेदक को अब किसी अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

10. मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना उचित समझता हूँ।



11. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

12. आवेदक-**शिवम सिंह उर्फ रजत सिंह** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उक्त केस क्राइम में अग्रिम जमानत पर, संबंधित थाने के थानाध्यक्ष/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र तथा तत्समान धनराशि की जमानत प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ अविलंब मुक्त किया जाएगा:-

- i. आवेदक आवश्यकतानुसार पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत रखने हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा नहीं;

13. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त किए जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त प्रेक्षण केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निस्तारण हेतु किए गए हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 17 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय